

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/01/2018.

क्रमांक- 882 / 192 / आउशि / सम्बद्धता / 18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	प्रगति शिक्षण समिति, भोपाल
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अशासकीय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, भोपाल
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.पी.ई.एस. तथा पी.जी.डिप्लोमा इन यौगिक साईंस

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर-संचालक-(प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 882-ए /192/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक- 30/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर-संचालक-(प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/01/2018.

क्रमांक- 881 / 166 /आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं (कंपनी/ट्रस्ट/समिति) द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. कंपनी/ट्रस्ट/समिति के द्वारा प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्थाओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों तथा अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा, उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

स. क.	बिन्दु	विवरण
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
2	कंपनी/ट्रस्ट/समिति का नाम	एम0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग समिति, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, पर्यटन भवन, भोपाल
3	नवीन अशासकीय महाविद्यालय का नाम	एम0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग, भोपाल
4	नवीन अशासकीय महाविद्यालय हेतु मान्य पाठ्यक्रम	बी.बी.ए.- टूरिज्म - प्रथम वर्ष, तथा बी.बी.ए.-हॉस्पिटलिटी - प्रथम वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



(जमदीश चन्द्र जटिया)
अपर-संचालक-प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 881-ए/166/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक- 30/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर-संचालक-प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/01/2018.

क्रमांक- **880** /684/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	श्रीमती दुर्गादेवी शर्मा न्यास, होशंगाबाद
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अशासकीय पं. रामलाल शर्मा शिक्षा महाविद्यालय, होशंगाबाद
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी.ए.-प्रथम वर्ष (प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी) अतिरिक्त विषय- राजनीतिशास्त्र सहित.

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



(~~डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया~~)
~~अपर-संचालक (प्रशासन)~~
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 880—ए / 684 / आउशि / सम्बद्धता / 17.

भोपाल, दिनांक— 30/01/2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी / माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद (म0प्र0)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


~~अपर-संचालक (प्रशासन)~~
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/01/2018.

क्रमांक- **879** /191आउशि/सम्बद्धता/18 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018-19 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

3. सत्र 2018-19 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक संस्थाओं/समिति द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु "आन-लाईन" प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि 07/12/2017 तथा विलंब शुल्क सहित निर्धारित तिथि 15/12/2017 तक प्राप्त किये गये।

4. संस्था द्वारा संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।


5. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय को प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

सरल क्रमांक	विवरण	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2	समिति का नाम	सी.एम.आई. सेवा संघ, सागर
3	संचालित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	अशासकीय काईस्ट कॉलेज, भोपाल
4	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/विषय	बी0बी0ए0 प्रथम वर्ष, बी0काम0-प्लेन प्रथम वर्ष

6. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



(डॉ. जयदीश चन्द्र जटिया)
~~अपर संचालक (प्रशासन)~~
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— 879—ए / 684 / आउशि / सम्बद्धता / 18.

भोपाल, दिनांक— 30 / 01 / 2018.

प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी / माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3— वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (म0प्र0)।
- 4— विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 5— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल—नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल, (म0प्र0)।
- 6— कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 7— प्राचार्य, अग्रणी शासकीय हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 8— संबंधित संस्था के अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, मध्यप्रदेश।
- 9— वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. सैल), भोपाल की और विभागीय “वैबसाईट” पर अपलोड कराने हेतु।
—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


~~अपर संचालक (प्रशासन)~~
उच्च शिक्षा, म.प्र.